"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 588] रायपुर, सोमवार, दिनांक 10 नवम्बर 2014 — कार्तिक 19, शक 1936

राज भवन

रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-3/2014/रास/यू.-6. — पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 (क्रमांक 26 सन् 2004) की धारा 9 की उप धारा (2) में निहित प्रावधानानुसार पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, बिलासपुर में कुलपति के पद के लिए कम से कम तीन व्यक्तियों का एक पेनल अनुशंसित करने के लिए कुलाधिपति द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों की खोज समिति गठित की जाती है :-

1.	श्री सुयोग्य कुमार मिश्र, पूर्व मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर.	-	विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा अनुशंसित
2.	डॉ. के. के. सुगंधी, सेवानिवृत्त डायरेक्टर, एन. आई. टी., रायपुर.	-	कुलाधिपति द्वारा अनुशंसित
3.	श्री देवेन्द्र वर्मा, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा, रायपुर.	-	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा अनुशंसित

2. साथ ही श्री सुयोग्य कुमार मिश्र को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है.

3. उपर्युक्त समिति यह अधिसूचना प्रसारित होने की तिथि से छ: सप्ताह की अवधि में मान. कुलाधिपति को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत करेगी.

कुलाधिपति, पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, बिलासपुर के आदेशानुसार,
जनमेजय महोबे, राज्यपाल के उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.